

राजस्थान सरकार
पशुपालन विभाग

क्रमांक:-एफ.वी.1(2)(5)योजना/न. प. चि. उ./2016-17/

दिनांक:-

निदेशक
पशुपालन विभाग,
जयपुर।

विषय:- नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोलने के संबंध में।

संदर्भ:- बजट घोषणा 2016-17 के बिन्दु संख्या 95 एवं शासकीय स्वीकृति क्रमांक एफ. वी.1(1)(14) योजना/बजट घोषणा/2016-17/6704 दिनांक 13.06.2016

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि बजट घोषणा 2016-17 के बिन्दु संख्या 95 की अनुपालना में 1000 पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों को पशु संख्या को ध्यान में रखते हुये संस्था विहीन ग्राम पंचायतों में खोला जाना है। इस संबंध में निम्नलिखित 20 नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों को खोले जाने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	जिला	विधान सभा क्षेत्र	नगर निगम/नगर परिषद/नगरपालिका/ग्राम पंचायत	प्रस्तावित ग्राम का नाम (स्थान)
1	बांसवाडा	बागीदौरा	पाटिया गलिया	पाटिया गलिया
2	बांसवाडा	बागीदौरा	रतनपुरा	रतनपुरा
3	बांसवाडा	बागीदौरा	आमलिया आम्बादरा	आमलिया आम्बादरा
4	बांसवाडा	बागीदौरा	सल्लोपाट	सल्लोपाट
5	बांसवाडा	बागीदौरा	जाम्बुडी	जाम्बुडी
6	बांसवाडा	बांसवाडा	गणाउ	गणाउ
7	बांसवाडा	बांसवाडा	खेडा वडलीपाडा	खेडा वडलीपाडा
8	बांसवाडा	बांसवाडा	बेरिया	बेरिया
9	बांसवाडा	बांसवाडा	झरी	झरी
10	बांसवाडा	बांसवाडा	खजुरी	डूंगरा
11	उदयपुर	वल्लभनगर	सारगपुरा(का)	सारगपुरा(का)
12	उदयपुर	वल्लभनगर	किकावास	भोरझई
13	उदयपुर	वल्लभनगर	ढावा	ढावा
14	उदयपुर	वल्लभनगर	सालडा	सालेडा
15	उदयपुर	वल्लभनगर	वाणिया तलाई	वाणिया तलाई




16	उदयपुर	झाडौल	नेवज	नेवज
17	उदयपुर	झाडौल	बिरोठी	बिरोठी
18	उदयपुर	झाडौल	साम	सोम
19	उदयपुर	झाडौल	कन्थारिया	कन्थारिया
20	उदयपुर	झाडौल	खाखरिया	खाखरिया

शासन के समसंख्यक आदेश क्रमांक एफ.वी.1(2)(5) योजना न. प. चि. उ./2016-17/7880 दिनांक 26.9.16 में कम संख्या 332 पर अंकित बरोटा, ग्राम पंचायत बरोटा, विधानसभा क्षेत्र खेरवाडा, जिला उदयपुर के स्थान पर बरोठी (ब्रा), ग्राम पंचायत बरोठी (ब्रा), विधानसभा क्षेत्र खेरवाडा, जिला उदयपुर, आदेश क्रमांक 8603 दिनांक 28.12.2016 के क्रम संख्या 39 पर ग्रा. राजेरा, ग्रा.पं. राजेरा विधानसभा क्षेत्र लूणकरणसर जिला बीकानेर के स्थान पर राजेरा ग्रा.पं. राजेरा, विधानसभा क्षेत्र डूंगरगढ, जिला बीकानेर, कम संख्या 146 पर लावण्डा, ग्राम पंचायत कायमसर, विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर, जिला सीकर के स्थान पर कायमसर, ग्राम पंचायत कायमसर, विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर, जिला सीकर पढ़ा जावे।

ग्राम पंचायत मुण्डोल जिला राजसमन्द में पूर्व से पशु चिकित्सा उपकेन्द्र स्वीकृत होने के कारण शासन के आदेश क्रमांक 8603 दिनांक 28.12.2016 के कम संख्या 136 पर स्वीकृत पशु चिकित्सा उपकेन्द्र भगवानदा खुर्द, ग्राम पंचायत मुण्डोल, विधानसभा क्षेत्र राजसमन्द, जिला राजसमन्द को विलोपित किया जाता है।

उक्त स्वीकृति पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोले जाने के मापदण्ड निर्धारण हेतु शासन के पत्र क्रमांक एफ.वी.13 (13) (1) पपावि/योजना/पुर्नगठन/12-13/1615-18 दिनांक 20.02.2013 के अनुसार शर्त पूर्ण करने एवं एवं वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 131600201 दिनांक 02.06.2016 की अनुपालना में जारी की जाती है।

उक्त स्थानों पर नवसृजित उपकेन्द्रों के उपयोग हेतु राजकीय भवन की अनुपलब्धता की स्थिति में भवन की निःशुल्क सुविधा स्थानीय निकाय/संस्थाओं/जनप्रतिनिधियों/स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध करवाना अनिवार्य है।



(एन.एल. गुप्ता)
शासन उप सचिव

क्रमांक:-एफ.वी.1(2)(5)योजना/न. प. चि. उ./2016-17/8816-21 दिनांक:- 20/11/17
प्रतिलिपि:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय कृषि एवं पशुपालन मंत्री, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन विभाग राजस्थान, जयपुर।
3. महालेखाकार, राजस्थान द्वारा आवासीय सहायक अंकेक्षण अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. उप शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. शासन उप सचिव वित्त (बजट) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।



शासन उप सचिव

29

राजस्थान सरकार


निदेशालय पशुपालन विभाग राज0 जयपुर

कमांक:-एफ.वी.1(2)(5)योजना/न. प. चि. उ./2016-17/8823-8845

दिनांक:- 20/11/2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, निदेशक, निदेशालय पशुपालन।
2. मुख्य लेखाधिकारी, पशुपालन निदेशालय जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक-उत्पादन /स्वास्थ्य/फार्म एवं सम्पदा/दवा प्रकोष्ठ/मोनेटरिंग निदेशालय पशुपालन।
4. अतिरिक्त निदेशक(क्षेत्र) पशुपालन विभाग उदयपुर,।
5. जिला संयुक्त निदेशक बांसवाडा, उदयपुर, को प्रेषित कर लेख है कि यह सुनिश्चित कर ले कि उक्त केन्द्रों से संबंधित ग्राम पंचायत क्षेत्र के किसी भी ग्राम में पूर्व से कोई विभागीय संस्था स्वीकृत नहीं है।
6. संयुक्त निदेशक, बीकानेर, सीकर, राजसमन्द पशुपालन विभाग।
7. संयुक्त निदेशक, सांख्यिकी निदेशालय पशुपालन विभाग।
8. उप निदेशक, विस्तार पशुपालन विभाग।
9. उप निदेशक, एसीपी निदेशालय पशुपालन विभाग को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
10. प्रभारी संस्थापन अ, ब-1,2 स-1,2 संख्याबल, सामान्य।
11. रक्षित्र पत्रावली।


संयुक्त निदेशक(योजना)